उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-12/2025/102/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022
लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

(शुद्धि-पत्र)

शासनादेश सं0-09/2025/76/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022 दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 10 फरवरी, 2025 से दिनांक 13 फरवरी, 2025 एवं कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 22 फरवरी, 2025 से दिनांक 25 फरवरी, 2025 तक निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड इटली से इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर-2 में ''(रु0 12,12,627/- अर्थात 13039 यूरो प्रति पायलट की दर से जो कि भारतीय मुद्रा में रु0 93/- प्रति **डॉलर** की विनिमय दर से)'' के स्थान पर ''(रु0 12,12,627/- अर्थात 13039 यूरो प्रति पायलट की दर से जो कि भारतीय मुद्रा में रु0 93/- प्रति **यूरो** की विनिमय दर से)'' समझा एवं पढ़ा जाए।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनु सचिव।

पृ0संख्या-12/2025/102(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिकारी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in